



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-रुड़की,

Project Implementation Unit-Roorkee

मकान नं० 181, शास्त्री पुरम, निकटहोटल गोदावरी, रुड़की-247667

House No. 181, Shashtri Puram, Near Hotel Godawari, Roorkee-247667

दूरभाष/Phone : 01332-357626, ई-मेल/E-mail: piuroorkee@nhai.org



भा.रा.रा.प्रा./पी0आई0यू0रुड़की/66001/स्पर से हरिद्वार (डी0पी0आर0)/2021/7242

दि. 27.02.2023

सेवा में

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

विषय-जनपद- हरिद्वार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम हरगोवा) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम- आतमलपुर-बांगला) तक 6 लेन अमिगन नियंत्रित हरिद्वार के लिये स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य भारतमाला परियोजना अंतर्गत विकास के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.6535 हे वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन(Online Proposal no. FP/UK / Road/147686/2021)

सन्दर्भ: Stage-I clearance letter by MoEF&CC integrated regional office, उत्तराखण्ड letter No. 8B/ U.C.P/06/ 47 / 2022/FC/ 1445, dated 25.01.2023.

COMPLIANCE REPORT


शर्तें:-

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	NHAI सहमत है की वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	NHAI परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3 प्रतिपूरक वनीकरण:		
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर कुल 3.3077 हे० कोटावाली क०स० 09. चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.3077 है० अवनत वन भूमि कोटावाली के क०स०-09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गई है तथा वन विभाग द्वारा 3.3077 है० अवनत वन भूमि कोटावाली के क०स०-09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा वन विभाग द्वारा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।
ख	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की	उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया

	उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	है। वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रेषित है।
ग	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल फाइल, सी०ए क्षेत्र प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल फाइल, सी०ए क्षेत्र प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूर दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित सहित सम्बन्धि खाते में जमा कर दी गई है तथा वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक अनुरक्षण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में यदि निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाते हैं तो यह प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मान्य है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या. 202/1995 में 1A नंबर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (च. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.6535 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण(Compensatory Afforestation) एवं उनके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु अंकन रू० 13,49,230/- की धनराशि एवं अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.6535 हे० का कुल वर्तमान मूल्य(Net Present Value (NPV) अंकन रू० 15,83,689/-, कुल अंकन रू० 29,32,919/-(13,49,230+15,83,689) धनराशि सम्बन्धित खाते में RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (RTGS copy enclosed)
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के


27.2.23


	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 285 जतममे दक 01 चसपदह से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 285 trees and 01 sapling वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	उक्त के सम्बन्ध में गाईडलाइन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति आपको प्रेषित की जायेगी। वन विभाग द्वारा इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति तक उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगी।
8	State Govt. is requested to upload the digital map in online Part-I, which showing forest and non-forest areas with different colours.	Digital map (DGPS map) in online Parivesh portal in Part-I, showing forest and non-forest areas with different colours has been uploaded.
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रमाणित किया जाता है कि परियोजनान्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से स्थानान्तरित/जमा की जायेगी। दिनांक- 20/02/2023 भुगतान प्रतिलिपि संदर्भ के रूप में संलग्न है।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन	वन विभाग द्वारा एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण


27.2.23

	संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	मान्य है।
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	मान्य है।
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	मान्य है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू है जिसकी स्वीकृति Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change से प्राप्त कर ली गयी है जिसकी कॉपी संलग्नक है।
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा केंद्र सरकार पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों हेतु किसी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता अभिकरण को मजदूरों हेतु किसी अन्य कानूनी


27.2.23

	अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	स्रोत पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा। ;
18	संबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी. सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर थ्वतूंतक ढंबूंतक इमंतपदहे अकित हों।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। ;
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। ;
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित / निगरानी की जायेगी कि परियोजना अभिकरण प्रयोक्ता द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा
21	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं क जाएगी। ;
22	राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं क जाएगी। (संलग्नक-20)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त उल्लंघन नहीं किया जायेगा। ;
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित जो शर्तें लागू होंगी, वह राज्य वन विभाग व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। ;
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा। कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे



27.6.23

	कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधों लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारो का निर्माण किया जायेगा निस्तारण स्थलों क राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	राज्य सरकार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय समस्त आदेश / अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
26	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

अतः महोदय से निवेदन है की विधिवत स्वकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित!

भवदीय



(पी. एस. गुसाई)

महाप्रबंधक (तक0) सह परियोजना निदेशक
पी0आई0यू0-रुड़की

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या 1: प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

Date: 27/02/2023
Place:- Roorkee

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या.2: NHAI सहमत है की परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/02/2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या.3 (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.3077 है० अवनत वन भूमि कलाप के क०स०-09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गई है तथा वन विभाग द्वारा 3.3077 है० अवनत वन भूमि कलाप के क०स०-09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा वन विभाग द्वारा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/02/2023
Place: - Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 3(ख): उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रेषित है।

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHA, PIU-Roorkee

परिमोल्नन निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+070) to Manoharpur village (Ch: 50+090) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 3(ग): प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एमएल फाइल, सी०ए क्षेत्र प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27.2.2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 4: प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूर दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित सहित सम्बन्धि खाते में जमा कर दी गई है तथा वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक अनुरक्षण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में यदि निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाते हैं तो यह प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा मान्य है।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

Date: 27/2/2023
Place: Roorkee

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 5 (क): प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रूपये 29,32,919.00 सम्बन्धित खाते में RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place: Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 5 (ख): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा।

Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place: Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 6: प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 285 trees and 01 sapling वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

Date: 27/2/2023
Place: Roorkee



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 7: उक्त के सम्बन्ध में गार्डलाइन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति आपको प्रेषित की जायेगी। वन विभाग द्वारा इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति तक उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगी।

Date: 27/2/2023
Place: Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 8: Digital map in online Part-I, which showing forest and non-forest areas with different colours has been uploaded.



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.


बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+070) to Manoharpur village (Ch: 50+090) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 9: प्रमाणित किया जाता है कि परियोजनान्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से स्थानान्तरित/जमा की दिनांक- 20.02.2023 भुगतान प्रतिलिपि संदर्भ के रूप में संलग्न है।

Date: 27.2.2023
Place:- Roorkee



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 10: वन विभाग द्वारा एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जिसे संलग्न है।

Date: 27/12/2023
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0 रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 11: नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। जिसके लिए सहमत है।

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 12: वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण केरथलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें जो की मान्य है ।

Date: 27/2/2023
Place: - Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch: 19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 13: नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करता है की इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध कराया गया ।

Date: 27/2/23
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.


बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+070) to Manoharpur village (Ch: 50+090) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 14: उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू है। प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त कर ली गई है और इसकी प्रति संलग्न की गई है।

Date: 27.2.23
Place:- Roorkee



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.. GP/UK/ROAD/147000/2021)

शर्त संख्या. 15: प्रयोक्ता विभाग द्वारा केंद्र सरकार पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 16: वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों हेतु किसी श्रमिक शैलिर स्थापित नहीं किया जाएगा जो की मान्य है।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 17: वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता अभिकरण को मजदूरों हेतु किसी अन्य कानूनी स्त्रोत पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा जो की मान्य है।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place: - Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 18: सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place: - Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 19: वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जो की मान्य है ।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 20: वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित / निगरानी की जायेगी कि परियोजना अभिकरण प्रयोक्ता | अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा जो की मान्य है ।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/23
Place: Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 21: राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं क जाएगी जो की मान्य है ।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place: Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch: 19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 22: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

Date: 27/2/23
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch: 19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 23: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित जो शर्तें लागू होंगी, वह राज्य वन विभाग व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी।

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 24: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधों लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारो का निर्माण किया जायेगा निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त सख्या. 25: राज्य सरकार एव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय समस्त आदेश / अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee


Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

बचनबद्धता

Name of Project: - Diversion of forest land for the development of 6-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch:19+060) to Manoharpur village (Ch: 50+700) in Haridwar district of Uttarakhand State.

(Online Proposal No.: FP/UK/ROAD/147686/2021)

शर्त संख्या. 26: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।



Pradeep Singh Gusian
GM (T) cum project Director
NHAI, PIU-Roorkee

Date: 27/2/2023
Place:- Roorkee

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि चिड़ियापुर रेंज कोटावली क0सं0 9, के अन्तर्गत Diversion of forest land for the development of 6 lane (green field) access-controlld spur to Haridwar UP/Uttarakhand Boarder near Manakpur Adampur village (Ch: 19+70) to Manoharpur village (Ch: 50+090) in Haridwar District of Uttarakhand State. परियोजना हेतु चयनित क्षेत्र 3.3077 है0 में किसी योजना के अन्तर्गत कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी,
चिड़ियापुर रेंज


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
उप प्रभाग, हरिद्वार
हरिद्वार


उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार



PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



My Account • My Proposals Environment Clearance • Only CRZ Clearance • My Proposals Forest Clearance • My Proposals Wildlife Clearance • Help

12:32:02 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

* Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No.	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	ROAD (Use 011) Diversion of forest land for the development of 5-lane (greenfield) access-controlled spur to Haridwar U.P. Uttarakhand Border near Manakpur Adampur village (Ch: 19-070) to Manoharpur village (Ch: 50-290) in Haridwar district of Uttarakhand State.	ROAD1476566001460	011476566450	12/24/2023	CA: 10-9200 - PCA: 0 - Safety Zones: 0 - NPV: 1000000 - Other Charges1: 0 - Other Charges2: 0 - Other Charges3: 0 - Total: 1000000 -	Add CA: 0 - CAT: 0 - Add PA: 0 - Other Charges: 0 - Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 15 Feb 2023 Bank Name: Union Bank of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Crallan) Challan Generated On: 16 Feb 2023 Transaction Date: 20 Feb 2023	Demand Letter Generated Challan

परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

STATEMENT OF ACCOUNT

Reserve Bank of India

Date 21-Feb-2023

Time 00:56:49

Pr. Chief Controller of Accounts M/o Road Transport And Highways I.D.A. Building, Jamnagar House New Delhi	Branch		Statement	Page
	Delhi Regional Office			1 of 1
	Account Number		Currency	
	10698101013 ()		INR	
	Period	20-Feb-2023 - 20-Feb-2023		
	Account Name	CS-NHAI-FARO, Dehradun-National Highway Authority		

Date	Posted Date Time	R.O	Transaction	Debit (INR)	Credit (INR)	Balance (INR)
			Opening Balance			89,35,95,322.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 16:31:06	4	EPV8PFMS010698101013202302200004 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 3198997	31,98,997.00		89,67,94,319.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 16:31:10	4	EPV8PFMS010698101013202302200005 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 612958	6,12,958.00		89,74,07,277.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 16:31:10	4	EPV8PFMS010698101013202302200003 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 249984	2,49,984.00		89,76,57,261.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 16:31:11	4	EPV8PFMS010698101013202302200002 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 2932919	29,32,919.00		90,05,90,180.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 16:31:14	4	EPV8PFMS010698101013202302200006 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 10416	10,416.00		90,06,00,596.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 18:01:10	4	EPV8PFMS010698101013202302200008 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 1344	1,344.00		90,06,01,940.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 18:01:11	4	EPV8PFMS010698101013202302200010 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 4985396	49,85,396.00		90,55,87,336.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 18:01:11	4	EPV8PFMS010698101013202302200007 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 32198	32,198.00		90,56,19,534.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 18:01:14	4	EPV8PFMS010698101013202302200009 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 52160	52,160.00		90,56,71,694.00 DB
20-Feb-2023	20-Feb-2023 18:01:22	4	EPV8PFMS010698101013202302200001 ePay File received on 20-FEB-2023 for Total Amount INR 36603	36,603.00		90,57,08,297.00 DB
Total				1,21,12,975.00	0.00	
Closing Balance						90,57,08,297.00 DB

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रुड़की / PIU, Roorkee.

Form-1
(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Haridwar

No. 711 | D.L.H.C-2022

Dated 20/09/2022

TO WHOM IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Govt. of India Letter no. 11-09/98-FC 9 (Pt.) Dated 28 October, 2014 it is certified that 1.6535 Hectares Of Forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Haridwar City for Development of 6-lane (Green Field) access controlled Spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur Village (Chainage 19+070) to Manoharpur Village (Chainage 50+090) in Haridwar District of Uttarakhand State of protected forest falling in the State of Uttarakhand in District-Haridwar According to this letter, (Copy of letter enclosed herewith for your ready reference please) for the projects like laying of pipelines/Optical Fibres, Transmission lines etc. where liner diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining the consent of the concerned Gram-Sabha (s) as stipulated in clause(c) read with clause(e) and clause(f) in the second para of the Ministry's said letter dated 03-08-2099.

It is further certified that Forest Land Proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act. 2006) as per census-2001 and the census-2011. This proposal does not involve recognized right of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities. A copy Sub Division Level Committee and District Level Committee are enclosed as Annex-A, and B.




District Magistrate
Haridwar
(Uttarakhand)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

Enclosed: As above.

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार
जिला स्तरीय समिति

जनपद-हरिद्वार शहर के अन्तर्गत प्रस्तावित 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्ट० संरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20/01/2012 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम-2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक श्री विनय शंकर पाण्डेय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	अधिकारीका नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री विनय शंकर पाण्डेय	जिलाधिकारी, हरिद्वार	 जिलाधिकारी हरिद्वार
2.	श्री मयंक शेखर झा	डी०एफ०ओ०, हरिद्वार	 उप वन संरक्षक हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
3.	श्री टिका राम मलेठा	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार	 जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार
4.	श्रीमती बालेन्द्र देवी	जिला पंचायत सदस्य	 जिला पंचायत कार्य का - 22 इन्फो जड़: हरिद्वार

इस बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right एवं Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विमर्श किया गया। उक्त समिति के प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वन-भूमि हस्तांतरण में यह पाया गया कि हरिद्वार वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के चिन्हित भू-भाग हस्तांतरण में यह पाया गया कि हरिद्वार वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के चिन्हित भू-भाग पर वन अधिकारों हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का Right एवं Settlement की कार्यवाही अपंक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाता है। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।


जिलाधिकारी
हरिद्वार
जिला पंचायत
हरिद्वार

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक निर्माण हेतु।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुड़की

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हरिद्वार

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्ट० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कांयों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी (वन अधिकारों कि मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रुड़की) की दिनांक 29/08/2022को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक श्री विजय नाथ शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- 1- श्री विजय नाथ शर्मा उपजिलाधिकारी
- 2- श्री सती सतीपा शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री विजय शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री योगेन्द्र कुमार बी०डी०सी० क्षेत्र मेहवड़ कला

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद हरिद्वार अन्तर्गत 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्ट० संरक्षित वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की गई है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
(विकास खण्ड-रूड़की)

क्षेत्र पंचायत सदस्य
योगेन्द्र कुमार
वि० ख० रुड़की
ग्राम मेहवड़ कला (हरिद्वार)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूड़की द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदक पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील रूड़की परिक्षेत्र के अन्तर्गत 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्ट० वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार, प्रयोक्त एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील रूड़की
जनपद-हरिद्वार

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील रूड़की
जनपद-हरिद्वार

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक

उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 1.6535 हेक्टे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारिषण लाइन, ओ०एफ०सी केबिल पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

महाप्रबंधक (तक०) सह
परियोजना निदेशक
भा०रा०रा०प्रा०,
पी०आई०यू०-रूड़की,
हरिद्वार।

तहसीलदार
रूड़की।

तहसीलदार
रूड़की

उप जिलाधिकारी
रूड़की।

जिलाधिकारी
रूड़की

Form-1
(For Liner Projects)
Government of India
Office of the District Collector

No.....

Dated 29/08/2022**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**


In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Govt. of India's Letter no. 11-09/98-FC 9 (Pt.) Dated 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on the submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of the linear project, it is certified that 1.6535 hectares Protected forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India (NHAI)** (name of user agency) for Development of 6-lane (Green Field) access controlled Spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur Village (Chainage 19+070) to Manoharpur Village (Chainage 50+090) in Haridwar District of Uttarakhand State falls within the jurisdiction of Bajuhedi and Mehwad kalan villages (s) in Roorkee Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.6535 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s), and the District Level Committee(s) are enclosed in the annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve the recognized right of primitive Tribal Groups and pre-agricultural committees.


GM (Tech.) cum
Project Director,
NHAI, PIU-Roorkee
Haridwar


Tehsildar
Roorkee
तहसीलदार
रुड़की


Sub District Magistrate
Roorkee

उप जिलाधिकारी
रुड़की


District Collector
Haridwar
हरीद्वार
हरीद्वार

प्रपत्र-23.4


परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 1.6535 हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रुड़की, हरिद्वार प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारिषण लाइन, ओ०एफ०सी केबिल पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


महाप्रबंधक (तक०) सह
परियोजना निदेशक
भा०रा०रा०प्रा०,
पी०आई०यू०-रुड़की,
हरिद्वार।


तहसीलदार
रुड़की।
तहसीलदार
रुड़की


उपजिलाधिकारी
रुड़की।
जिलाधिकारी
रुड़की


जिलाधिकारी
हरिद्वार।
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्षेत्र पंचायत का नाम : मैहवाड़ कंला
तहसील :-रूड़की

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड में जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्टे० संरक्षित वन भूमे का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में क्षेत्र पंचायत मैहवाड़ कंला द्वारा दिनांक को सम्पन्न उपरोक्त क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदन वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथावा नहीं। उपस्थित सभा क्षेत्र पंचायत वासियों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त क्षेत्र पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार को उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

योगेन्द्र कुमार
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पौंसनी-मैहवाड़
तहसील-रूड़की
जिला-हरिद्वार

प्रपत्र-23.1

दिनांक.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
क्षेत्र पंचायत

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देवी शर्मा	देवी
2.	अनुराग	
3.		
4.	पाल सिंह	पाल सिंह प्रधान
5.		ग्राम पंचायत मेहनत और दि० ख० ठाकी का अक्षर
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environment Single-Window Hub)



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

To,

The General Manager
National Highways Authority of India
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New DELhi-110075, G-5 & 6, Sector-10,
Dwarka, New DELhi-110075, New Delhi, Delhi-110075

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the Ministry vide proposal number
IA/UK/NCP/211849/2021 dated 27 Nov 2021. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23A034UK151788
2. File No.	10/25/2021-IA.III
3. Project Type	New
4. Category	A
5. Project/Activity including Schedule No.	7(f) Highways
6. Name of Project	Development of 6-lane access-controlled spur to Haridwar from Delhi – Saharanpur – Dehradun Economic Corridor in the states of Uttar Pradesh & Uttarakhand
7. Name of Company/Organization	National Highways Authority of India
8. Location of Project	Uttarakhand
9. TOR Date	17 Jun 2021

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 16/02/2023

(e-signed)
Amardeep Raju
Scientist E
IA - (INFRA-1 sector)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.


परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
प्राधिकृत / Authorised

2. The proposed project is for the development of 6 lane asses controlled highway starts at Km 0+000 (29°47'32.83"N, 77°33'33.91"E) near Halgoya village in Saharanpur district of Uttar Pradesh (Ch. 108+450 of Delhi-Saharanpur-Dehradun economic corridor) and ends at Km 43+900 (29°54'2.99"N, 77°58'10.83"E) near Badheri village where it merges with NH-334 (Old NH No. 58) in Haridwar district of Uttarakhand State.

3. The proposed project falls under 7(f), Highway, Category A. Total project cost is Rs, 2132.56 Cr. The budget allocated for EMP is INR 17.276 Cr which is 0.81 % of the project cost. The construction period of the proposed project is 30 months.

4. The proposed project has been recommended for Terms of Reference (ToR) vide Proposal No. IA/UK/NCP/211849/2021 and File No. 10/25/2021-IA.III in 262nd EAC meeting held during 25th -27th May, 2021 and ToR letter was issued on 17th June 2021.

5. Public Hearing: Public Hearings were conducted on 05th Oct 2021 and 27th Sep 2021 in Saharanpur district by Uttar Pradesh Pollution Control Board and in Haridwar district by Uttarakhand Pollution Control Board, respectively.

S. No.	Category of Issue raised by Public	Response / Commitment by Proponent	Remarks, if any
1	Land Acquisition	To be undertaken as per regulatory process	As per NH Act, 1956
2	Compensation	To be undertaken as per regulatory process	As per RFCTLARR Act, 2013

6. Right of Way (RoW): Proposed ROW is 60 meter. The total length of the project is 43.9 km (19 km in Saharanpur district & 24.9 km in Haridwar district).

7. The proposed alignment follows 'plain' terrain. The elevation varies from ~256 m above MSL to ~276 m above MSL with average elevation of ~266 m above MSL.

8. The project alignment is crossing 1 pond, 4 rivers, 2 irrigation canals & 3 nalas. (Total length of the project affecting water body is 1150 m).

9. Flyover/Interchanges-5; VUP-9; LVUP-11; SVUP-29; MJB-5; MNB-10; ROB-2 is proposed along the project stretch for free passage to villagers, domestic animals and to avoid any impact on local hydrology. All safety measures will be provided as per NHA Safety Manual and IRC:SP-88 and Expressway Manual IRC:SP-99.

10. Water requirements: About 21,58,442.17 KL water shall be required for construction phase. Water shall be sourced from surface water bodies through Tankers after necessary approval. No groundwater extraction is proposed. However, if potable water is required same shall be extracted after necessary permission from appropriate authority.

11. Construction and demolition waste due to demolition of existing structures & construction activities shall be managed as per Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016. Municipal wastes generated from the construction workers camp shall be managed as per Solid Waste Management Rules, 2016. Hazardous wastes generated due to activities like maintenance and repair work on vehicles shall be managed as per hazardous and other wastes (Management, & Trans-boundary Movement) Rules, 2016.

12. Forest clearance has been obtained vide letter No. 8B/UCP/06/47/2022/FC/1445 dated 25th January, 2023 and 8B/UP/06/208/FC/1445 dated 31.10.2022.

13. About 8300 trees are to be felled in the proposed project. Nearby 1166 trees / km (51187 Nos.) on either side of proposed highway and shrubs 666 nos./ Km (29237 Nos.) at median shall be planted in accordance to IRC SP 21:2009 and NHA Green Highway Policy 2015.

14. About 44 nos. of rainwater harvesting structures have been proposed in the project corridor.

15. Approx. 296.618 ha land shall be required for the proposed project. The land acquisition done as per NH Act, 1956 and LARR Act, 2013. The R&R issues shall be resolved as per LARR Act, 2013.

16. Project shall provide direct employment opportunities for about 300 persons (including permanent and temporary) based on Ministry of Road Transport & Highways Press disclosure.

17. Benefits of the project: The proposed project will provide multifold benefits such as reduction in travel time and cost savings, faster access and better reach to the nearby major market for perishable products, development of tourism, reduction in carbon footprint, revenue generation for both State and Centre etc.

18. Details of Court cases: No Court Cases are pending against the proposed project

19. The EAC based on the information submitted and clarifications provided by the project proponent and detailed discussions held on all the issues during 283rd meeting during 9th - 10th December, 2021, recommended the project for grant of environmental clearance with stipulated specific conditions along with other Standard EC Conditions.

20. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has considered the proposal based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee (Infrastructure, CRZ and other Miscellaneous projects) and hereby decided to grant Environmental Clearance for the "Development of 6-lane access controlled spur to Haridwar from Delhi-Saharanpur-Dehradun Economic Corridor in the States of Uttar Pradesh & Uttarakhand (Total Length – 43.900 km) by M/s National Highways Authority of India" under the EIA Notification, 2006 as amended, subject to strict compliance of the following specific conditions, in addition to all standard conditions applicable for such projects.

SPECIFIC CONDITIONS

- i. Green belt development (tree plantation) in lieu of the trees being felled in non-forest land should be carried out by the State forest department as deposit work and not by the private contractor. Green belt must be developed using exclusively native species. No exotic species to be used for the same. No Ground water shall be extracted and used. Approval/permission of concerned authority shall be obtained before drawing surface water from canal or any other sources.
- ii. The proponent shall obtain permission from the competent authorities for tree felling along the proposed alignment.
- iii. Rain water harvesting pit shall be at least 3 - 5 m above the highest ground water table.



- iv. In borrow pits, the depth of the pit shall be regulated such that the sides of the excavation will have a slope not steeper than 1:2, from the edge of the final section of bank. Soil erosion checking measures shall be carried out. Details for Borrow area operation and rehabilitation given in EIA report shall be followed.
- v. Quarry areas shall be barricaded during mining operations. The abandoned quarry shall be developed as water reservoirs with proper fencing around quarry area. Details for Quarry area operation and rehabilitation given the EIA report shall be followed.
- vi. In all the construction sites within 150 m of the nearest habitation, noisy construction work such as crushing, concrete mixing will be stopped during the night time between 10.00 pm to 6.00 am. No noisy construction activities will be permitted around educational institutions/health centers (silence zones) up to a distance of 100 m from the sensitive receptors. All plants and equipment used in construction shall strictly conform to the CPCB/SPCB noise standards.
- vii. Traffic Control Devices/Road Safety Devices/ Roadside Furniture including various types of cautionary, informatory, regulatory as mandatory signboards, road markers, studs, etc. shall be provided at appropriate locations all along the project stretch in accordance with the specifications laid down in Manual of Specifications and Standards for Expressways (IRC: SP:99-2013) and IRC:8, IRC:25, IRC:26, IRC:35, IRC:67, IRC:79, IRC:103 and Section 800 of MoRTH Specifications.
- viii. Prepare the traffic prediction report for complete project (including all packages of this project) considering the cumulative impact of the traffic on the environment and submit to the Ministry and concerned Regional Office within 3 months.
- ix. All the major, minor bridges and culverts should not affect the drainage systems. Flood plains of the rivers/ drainage systems are not to be disturbed.
- x. Afforestation using compensatory plantation in the ratio of 1:10 shall be carried out. Native tree species shall be provided as per the IRC Guidelines on Landscaping and Tree Plantation (IRC: SP:21-2009). Effort should be made to plant native trees and Ficus species on both sides of the alignment. Special attention shall be given for protecting giant trees, and locally important trees (having cultural importance) and should be identified chainage wise.
- xi. Project alignment should be managed in such a way to save the Heritage/old trees supposed to be affected by the proposed alignment.
- xii. As per the Ministry's Office Memorandum F. No. 22-65/2017-IA.III dated 30th September, 2020, the project proponent shall abide by all the commitments made by them to address the concerns raised during the public consultation. The project proponent shall initiate the activities proposed by them, based on the commitment made in the public hearing, and incorporate in the Environmental Management Plan and submit to the Ministry. All other activities including pollution control, environmental protection and conservation, R&R, wildlife and forest conservation/protection measures including the NPV, Compensatory afforestation etc., either proposed by the project proponent based on the social impact assessment and R&R action plan carried out during the preparation of EIA report or prescribed by EAC, shall also become part of EMP and shall be



- implemented.
- xiii. Proponent shall keep the finish road level sufficiently elevated from ground level with provision of railing on both sides to restrict animal crossing in order to avoid the possibility of wildlife injury/death. Animal underpasses, watch tower, water holes and other mitigation measures proposed shall be constructed in supervision of forest department.
- xiv. While constructing the over bridges as proposed over major water bodies efforts should be made to avoid construction of pillars in beds of water bodies.

GENERAL CONDITIONS AND IRC GUIDELINES

- i. Cut and fill works shall be carried out strictly in accordance with the design drawings proposed at the time of appraisal of the project.
- ii. Sidewalk shall be provided along the bridges.
- iii. The drain shall be at least 1m away from the toe of the embankment of the road adopting IRC guidelines. Longitudinal drains shall be provided all along the project road to ensure proper drainage of the area. In addition, adequate number of under passes and culverts to act as cross drainage structures shall also be provided.
- iv. Blasting shall be carried out during fixed hours (preferably during mid-day) or as permitted by the concerned authority. The timing shall be made known to all the people within 1000m (200m for pre-splitting) from the blasting site in all directions.
- v. Rain water harvesting including oil and grease trap shall be provided as prescribed by CGWB guidelines. Water harvesting structures shall be located at every 500m along the road. Vertical drain type rainwater harvesting structures shall be set up to minimize surface runoff losses of rainwater.
- vi. The embankments/slopes and the slopes left after cutting shall be provided with vegetative growth to avoid soil erosion.
- vii. Construction spoils including bituminous material and other hazardous materials must not be allowed to contaminate water courses and the dump sites for such materials must be secured so that they shall not leach into the ground water. The non-usable bitumen spoils shall be disposed off in a deep trench providing clay lining at the bottom and filled with soil at the top (for at least 0.5m)
- viii. Construction camps shall be proposed 500 m away from the nearest settlements to avoid conflicts and stress over the infrastructure facilities with the local community. Location for stockyards for construction materials shall be identified at least 1000m from water sources. Garbage tanks and sanitation facilities will be provided at camps.

(i) Compliance Reporting

- (a) The project proponent shall submit online six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change and also upload the same, including results of monitored data, on their company website.
- (b) For compliance of conditions during operation phase, PP shall either itself undertake the responsibility of compliance or ensure setting up institutional



mechanism for compliance of conditions under intimation on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

- (c) The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- (d) The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary.
- (e) Beside fulfilling obligations under Corporate Social Responsibilities as per Company's Act, 2013, the proponent has to adhere to the followings Environment Responsibilities:
 - i. The Company shall have a well laid down Environment Policy approved by the Board of Directors.
 - ii. The Environment Policy shall prescribe for standard operating process/ procedures to bring into focus any infringements/ deviation/violation of the environmental or forest norms/ conditions.
 - iii. The hierarchical system or Administrative Order of the company to deal with environmental issues and for ensuring compliance with the environmental clearance conditions shall be furnished.
 - iv. To have proper checks and balances, the company shall have a well laid down system of reporting of non-compliances/ violations of environmental norms to the Board of Directors of the company and/or shareholders or stakeholders at large.

NOTE:

- (i) The above conditions shall be enforced in a time bound manner
- (ii) The Environmental Clearance to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project Proponent is under obligation to obtain approvals /clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes, as applicable, to the project.
- (iii) The PP is under obligation to implement commitments made in the to the issues raised during public hearing Conceptual Plan/ Environment Management Plan, which forms the part of this EC.

31. Further attention of project proponent is drawn towards the following Acts/ Regulations/ Statutes/ Guidelines issued from time to time:

- (a) All the Indian Road Congress (IRC) guidelines wherever applicable may be followed.
- (b) Provisions related to tree cutting as contained in the Forest (Conservation) Act, 1980 and related rules of the respective state.
- (c) Dust Mitigation Measures stipulated for Construction and Demolition Activities as provided in the amendment Notification GSR 94(E) dated 25.01.2018 of MoEF&CC.
- (d) Provisions for use of Fly ash as building material in the construction as per stipulated under Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016.
- (e) Provisions for management of construction and demolition activities related thereto as contained in Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

32. **General Instructions:**

Part A

- (a) Approval/permission of concerned authority shall be obtained before drawing surface water from canal or any other sources.

- (b) The proponent shall obtain permission from the competent authorities for tree felling along the proposed alignment.
- (c) As per MoEF&CC's circular no. J-11013/41/2006-IA.II (I) dated 22.09.2008, provision shall be made for supply of kerosene or cooking gas and pressure cooker to the labourers, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, Crèche and temporary structures for living during construction phase.
- (d) The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year-wise expenditure shall be reported to MoEF&CC and its concerned Regional Office.

Part B

- (a) The project proponent shall prominently advertise it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days indicating that the project has been accorded environment clearance and the details of MoEF&CC/SEIAA website where it is displayed.
 - (b) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
 - (c) The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors (in case of Company) or competent authority, duly prescribing standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions.
 - (d) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the project proponent (during construction phase) and authorized entity mandated with compliance of conditions (during operational phase) shall be prepared. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Six monthly progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
 - (e) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
 - (f) The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
 - (g) Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
33. This issues with the approval of the Competent Authority.


(Amardeep Raju)
Scientist-E

Copy to:

1. Chief Secretary, Department of Forest and Environment, Government of Uttarakhand, Subhash Road, Dehradun-248 006.
2. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi – 32
3. The Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand Forest Department, 85, Rajpur Rd, Dehradun, Uttarakhand
4. The Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Gaura Devi Bhawan, 46 B IT Park Sahastradhara, Dehradun, Uttarakhand – 248 001.
5. Monitoring Cell, MoEF&CC, Indira Paryavaran Bhavan, New Delhi.
6. Guard File/Record File
7. Notice Board.
- 8.



(Amardeep Raju)
Scientist-E



परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० रूड़की / PIU, Roorkee.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amardeep Raju
Scientist E
Date: 2/16/2023 4:41:08 PM